

# मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016 (फाल्गुन 5, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) डॉ. बलराम जाखड़, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
- (2) श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री,
- (3) श्री बसोरी सिंह मसराम, पूर्व लोकसभा सदस्य,
- (4) श्री विनय कुमार दीवान, पूर्व विधान सभा सदस्य, तथा
- (5) डॉ. रामनारायण तैनगुरिया, पूर्व विधान सभा सदस्य.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा अधिकार अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 18 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष 1997-1998 से 2012-2013 तक पटल पर रखेंगी.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 46 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि म.प्र.स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

4. दिसम्बर, 2015 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड 6 का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

## 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के अनेक ग्रामों में भू-जल स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य इन्दौर के पिपल्याहाना तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 216-उज्जैन-उत्तर से निर्वाचित सदस्य, श्री पारस चन्द्र जैन को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

## 9. सभापति तालिका की घोषणा

## 10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, याचिका समिति का अठारहवां से उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुन्दर लाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम टीकर में निमिहन टोला से बरहा टोला 3 कि.मी. जकीरा से पटपहरा टोला 5 कि.मी. रोड का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम बदवार मोड़ से जल्दर ग्राम तक लगभग 8 कि.मी. सड़क का डामरीकरण किये जाने,

(2) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम डिहुरा के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम देवरी (मबई) में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने, तथा

(ग) ग्राम सिहुडी (बाकल) के खर्घाट में स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -

(क) ग्राम नीलबड़ में तालाब की स्थापना किये जाने, तथा

(ख) ग्राम इछावर के सतपीपलिया एवं गऊखेड़ी तक डामर रोड का निर्माण किये जाने,

(4) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम पीपरी, रतनपुर मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम आगराखुर्द से उदयनगर पीपरी मार्ग तक रोड का निर्माण किये जाने,

(5) श्री वीर सिंह पवार, सदस्य, विदिशा जिले के -

(क) ग्राम उदयरामपुर से सुल्तानपुर तक रोड बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम भालवामोरा से नजफगंज बाढ़ेर, देवीपुर तक 4 कि.मी. रोड बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 23 फरवरी, 2016

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा